चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक......../   /2018

क्रमांक एफ 1–3/2018/55–2

प्रति,

'कुलपति,
मेडिकल यूनिवर्सिटी,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :– शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में न्यूरोसर्जरी विभाग तथा टी.बी.चेस्ट विभाग की सुविधाओं के उन्नयन बाबत्।

संदर्भ :– चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश क्र एफ1–3/2018/55–2, दिनांक 26.05.2018 तथा आदेश क्र एफ 2–11/2018/55–2, दिनांक 28.0 8.2018।

————————00————————

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सहयोग एवं पूंजी निवेश से मंत्री परिषद के निर्णय क्र. 16, दिनांक 08 मई 2018 द्वारा टी.बी.चेस्ट विभाग तथा मंत्री परिषद के निर्णय क्र 30 दिनांक 16 जुलाई 2018 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में न्यूरोसर्जरी विभाग की सुविधाओं का उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदाय की जाकर संदर्भित आदेश जारी किए है।

उक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग की परियोजना ईकाई को टी.बी.चेस्ट के उन्नयन हेतु राशि रू 19.37 करोड़ एवं न्यूरोसर्जरी विभाग के उन्नयन हेतु राशि रू 15.83 करोड़ प्रदाय किए जाने के लिए निम्न व्यवस्था बनाई जाती है :–

1. राज्य शासन के निर्णय के मुताबिक चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में न्यूरोसर्जरी विभाग तथा टी.बी.चेस्ट विभाग की सुविधाओं के उन्नयन हेतु मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के मध्य एक एम.ओ.यू. यथाशीघ्र निष्पादित कराया जावे।
2. एम.ओ.यू. अनुसार आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम निर्माण एजेंसी को प्रदाय करेगा।
3. निर्माण एजेंसी मासिक व्यय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी शासन, संचालनालय, अधिष्ठाता तथा विश्वविद्यालय को आगामी माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराएगा ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा महालेखाकार को भेजा जा सके।
4. प्राप्त किश्त की 75 प्रतिशत राशि के उपयोग पश्चात् आगामी 25 प्रतिशत की किश्त आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल जारी की जावेगी।
5. निर्माण एजेंसी समय सीमा में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेगी।

— sd —
(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 30/11/2018

पृ. क्रमांक एफ 1–3/2018/55–2

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ,म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। ।

29.11.18

अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 4775
दिनांक 1.12.18

01.12.18

B-66

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
E-Mail- dme12001@yahoo.com

पृष्ठांकन प्रतिलिपि क्रमांक/ 2405-11 /योवि/2/2018 भोपाल, दिनांक 7/12/2018
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) कुलपति, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ।
2) अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर ।
3) निज सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा स्थानीय कार्यालय ।
4) परियोजना संचालक,परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन भोपाल।
5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर ।
6) गार्ड फाईल।
7) पोर्टल पर अपलोड करने हेतु

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

215 /dekstop/shashi gupta/letter